न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 07/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

– प्रार्थी

बनाम

1. प्रद्युमन विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश विश्नाई मैसर्स महादेव किराणा एवं जनरल स्टोर, बजरंगपुरा, पुर, भीलवाडा

––विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 58

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 18.02.2025

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक प 5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 एवं कमांक प 5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया हैं। जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि प्रद्युमन विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश विश्नाई मैसर्स महादेव किराणा एवं जनरल स्टोर, बजरंगपुरा, पुर, भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अन्य सामग्री के साथ सोयाबीन तेल इत्यादि का विकय कर रहा था। प्रद्युमन विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश विश्नाई मैसर्स महादेव किराणा एवं जनरल स्टोर, बजरंगपुरा, पुर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को लूज अवस्था में सोयाबीन तेल विकय किया जा रहा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विकता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार सोयाबीन तेल नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना अवमानक होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य

एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी अवमानक सोयाबीन तेल का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अवमानक सोयाबीन तेल का विक्रय किया हैं, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित हैं। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी पर 18,000/—रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उक्त शास्ति राशि जरिये चालान जमा करा, चालान की प्रति इस कार्यालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 श्री प्रद्युमन विश्नोई पुत्र ओमप्रकाश विश्नाई मैसर्स महादेव किराणा एवं जनरल स्टोर, बजरंगपुरा, पुर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि जरिये चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)